तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 65/2025 बअनवान रावताराम बनाम सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस., प्रथम लिंक अधिकारी

–:आदेश:–

दिनांक 08.04.2026

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री ललीत मोहन व्यास।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बाद तलब प्राप्त संलग्न है। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम पारेवर, पटवार हल्का खींया के वर्तमान खसरा संख्या 659 में 37 बीघा 10 बिस्वा ए वं खसरा संख्या 660 में 37 बीघा 10 बिस्वा जो प्रार्थी के कब्जा–काश्त की भूमि है। उक्त आराजी वादी/अपीलांट को पटवार हल्का खीयां ने कब्जे व आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 122 खोला। पटवारी हल्का द्वारा आवंटित व कब्जा शुदा 75 बीघा इस वादग्रस्त आराजी की कृषि भूमि बाबत् खातेदार काश्तकार नियमानुसार बीघोड़ी की मांग भी कायम कर वर्ष संवत् 2044 तक वादी रावताराम से बीघोड़ी (लगान) भी वसूल की गई है तथा पांच रूपये सनद फीस व एक रूपया इन्तकाल दर्ज करने की फीस व समय–समय पर सूद भी वसूल किया गया है। किन्तु अपीलांट द्वारा उक्तानुसार लगान अदा करने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया। अपीलांट एक कृषक है जो हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को कृषि उपयोग में लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलांट का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि ही है। जिस हेतु अपीलांट हस्तगत वादग्रस्त आराजी पर आधारित है। अगर प्रार्थी/अपीलांट्स को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी का जीवन दूभर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश छपा–छपाया आदेश पारित किया गया है। जो गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलांट द्वारा लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत आराजी का लगान अदा किया गया है। अपीलांट का खसरा परिवर्तनशील दस्तावेज अनुसार भी लगातार खुदकाश्त के रूप में लगातार कब्जा–काश्त रहा है। रस्रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति परिवर्तन करने, अपीलांट को बेदखल करने एवं किसी सार्वजनिक कंपनी को आवंटन करने पर आमादा हैं। अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज–काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। जिसमें किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। वकील अपीलांट द्वारा दावे के साथ कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। न ही सत्यापित प्रतियां है। सभी दस्तावेज फोटोप्रति के रूप में है जिनकी वास्तविकता साबित नहीं होती है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खेड़े रह कर साबित करना चाहिये। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में ही विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को हल्का पटवारी द्वारा वर्षा होने पर अपीलांट द्वारा काश्त करना शुरू किया गया तब प्रथम बार यह बाताया गया कि हस्तगत वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाय चक दर्ज है। अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। जिसकी अपीलांट को पूर्ण जानकारी थी। किन्तु अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। प्रश्नगत आवेदन द्वारा चाहा गया अनुतोष की आराजी राजकीय भूमि होने से सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रवाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश विश्नोई),
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर